

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक :- 04.11.2019

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14689/2019 गणेश कुमावत बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 की अनुपालना में नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु वरिष्ठ अध्यापक-सिन्धी (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2018 के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2019 को अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच हेतु जारी विचारित सूची (**Provisional List of Candidates for Eligibility Checking**) में अस्थाई रूप से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के वर्गवार कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है:-

**CUT OFF MARKS
SUBJECT- SINDHI
NON TSP AREA**

CATEGORY		CUT OF MARKS	DATE OF BIRTH
GEN	GEN	223.05	16-09-87

नोट:- पात्रता जांच के उपरान्त चयन सूची/वरीयता सूची मय वर्गवार कट ऑफ मार्क्स पृथक से जारी की जावेगी।

(रिणु जयपाल)
सचिव